कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./बी/विपूमैछा/आवंटन/2018–19/ दिनांकः 19-05-2018

विज्ञप्ति
(विस्तृत जानकारी)

राज्य में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग–अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं** में **सत्र 2018–19 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जाकर प्रवेश दिये जायेगें :–

1 योजनाओं के नाम :–

(अ) **शिक्षा विभागीय योजना**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(ब) **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) योजना**
अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(स) **विशेष समूह योजना**
अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी) के छात्र–छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

2 विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2018–19 में रिक्तियां :–

(अ) **शिक्षा विभागीय योजना**

वर्ग	2018–19 में रिक्तियां		
	छात्र	छात्रा	योग
अनुसूचित जाति	172	114	286
अनुसूचित जनजाति	128	86	214
कुल योग	300	200	500

(ब) **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) योजना**

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में **डूंगरपुर व बांसवाड़ा** सम्पूर्ण जिले, **उदयपुर** जिले की सात पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 123 गांव व तहसील गोगुन्दा के 52 गांव, **प्रतापगढ़** जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट तहसीलें तथा **सिरोही** जिले की आबू रोड तहसील का आबू रोड ब्लॉक सम्मिलित है। क्षेत्र निर्धारण की जो अद्यतन जानकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है, अधिकृत मानी जावेगी	170	130	300
गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र (शेष जिले)	120	80	200
कुल योग	290	210	500

(स) **विशेष समूह योजना**

वर्ग	2018–19 में रिक्तियां		
	छात्र	छात्रा	योग
अति पिछड़ा वर्ग–एम.बी.सी.	300	200	500

3 छात्र/छात्रा की पात्रता :–

(अ) छात्र/छात्रा को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। **(विद्यार्थी का स्वयं का मूल निवासी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है)**

(ब) छात्र/छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग) का होना चाहिए। **(विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है)**

(स) छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 न्यूनतम 'C' Grade से उत्तीर्ण होना चाहिए। **(विद्यार्थी की अंक तालिका होना अनिवार्य है)**

(द) छात्र/छात्रा के माता–पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। **(आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है)**

(य) इस योजना में एक माता–पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगी। इस आशय का घोषणा पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः माता–पिता द्वारा प्रस्तुत करना होगा। **(घोषणापत्र अनिवार्य है)**

4 **आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण :–**

(अ) छात्र/छात्रा को अपना आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र एवं चयनित विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों एवं विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। वेबसाईट के **Scholarship** टेब पर क्लिक कर विस्तृत जानकारी, 54 चयनित विद्यालयो की सूची एवं आवेदन पत्र प्रिंट किया जा सकता है।

(ब) विद्यार्थी भरे हुए आवेदन पत्र अपने वर्तमान विद्यालय के जिले/क्षेत्र से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालय में अंतिम तिथि 31.05.2018 गुरुवार को सायंकाल 6:00 बजे तक व्यक्तिशः उपस्थित हो कर जमा करवा सकेगें।

(स) आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है :–

- ★ सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी राजस्थान के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की प्रति
- ★ सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- ★ छात्र–छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण अंक तालिका की प्रति
- ★ माता–पिता का आय प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट–1)
- ★ माता–पिता का दो से अधिक संतान योजनांतर्गत लाभान्वित न होने का स्वघोषणा पत्र (परिशिष्ट–2)

(द) आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने पर छात्र/छात्रा की पात्रता निरस्त की जा सकती है

(य) आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग/सफेद स्याही/ओवर राइटिंग नही की जावे। ऐसा पाये जाने की स्थिति मे आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा

(र) आवेदन पत्र को एक ही तरह के पेन/स्याही तथा हैंड राइटिंग से भरा जाना अनिवार्य है।

(ल) **आवेदन पत्र में प्रवेश हेतु इच्छित तीन विद्यालयों के नाम में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग/सफेद स्याही लगे आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें। इस प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावें। अगर किसी जि.शि.अ. कार्यालय द्वारा इस प्रकार के आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किये गये तो उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।**

(व) **जिन विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र पूर्व मे ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दिये है उन विद्यार्थियों से स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें तीन विद्यालयों के नाम लिखें हो, को जमा करवाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बिना विद्यालयों के नाम लिखे आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित नही किये जावें।**

5 **प्रवेश पूर्व परीक्षा (पाठ्यक्रम, शुल्क, केन्द्र, आयोजन एवं परिणाम) :–**

(अ) प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर, कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।

(ब) प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 का भारांक देकर कुल 100 अंको का प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। यह प्रश्नपत्र केवल हिन्दी लिपि में ही मुद्रित होगा।

(स) परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(द) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/जिले में दो जिशिअ होने पर माध्यमिक–प्रथम द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों में करवाया जा सकेगा। प्रवेश पूर्व परीक्षा में वीक्षक के रूप में केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जावे।

(य) छात्र–छात्राएं स्वयं उपस्थित होकर जिस जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था वहीं से प्रवेश पत्र प्राप्त करेगें। छात्र–छात्रा को प्रवेशपत्र परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्यतः ले कर जाना होगा इसके अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(र) **प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन 17 जुन 2018 रविवार को किया जायेगा।**

(ल) **प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम दिनांक 02 जुलाई 2018 को घोषित किया जायेगा**

(व) प्रवेश पूर्व परीक्षा का परिणाम समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा साथ ही शिक्षा विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** के **Scholarship** टेब पर अपलोड किया जायेगा।

6 **छात्र–छात्राओं को योजनांतर्गत देय सुविधाएं :–**

(अ) छात्र/छात्रा को नियमानुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वच्छ आवास एवं बिस्तर, भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क सुविधाएं विद्यालय द्वारा देय होंगी। जिसके लिए विद्यालय को अधिकतम रु 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि दोनो में जो भी कम हो, का पुनर्भरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। छात्र/छात्रा द्वारा किसी भी तरह की राशि विद्यालय को नहीं देनी होगी।

(ब) छात्र–छात्रा को कक्षा 6 से 12 तक में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जायेगा। विद्यार्थी को कक्षा 11 व 12 में उसके द्वारा चयनित विद्यालय में संचालित हो रहे ऐच्छिक विषयों का ही अध्ययन करना होगा।

(स) प्रवेश पूर्व परीक्षा में चयनित छात्र–छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा। तत्पश्चात् कक्षा 12 तक प्रतिवर्ष स्वतः ही उनका नवीनीकरण होता रहेगा बशर्ते कि इन छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम "C" Grade अथवा 50 प्रतिशत अंक अर्जित किये जावे। (स्पष्टीकरण :– कक्षा 6 से 8 तक विभाग में ग्रेडिंग पद्धति प्रचलन में है जबकि कक्षा 9 से 12 तक अंक पद्धति तदनुसार उक्त शर्त का परीक्षण प्रतिवर्ष किया जा सकेगा)

7 अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के योजनावार चयन का आधार :–

(अ) अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का प्रवेश पूर्व परीक्षा की मेरिट/वरीयता अनुसार सर्वप्रथम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागीय योजना हेतु और तत्पश्चात शेष रहे छात्र/छात्राओं का शिक्षा विभागीय योजना हेतु चयन किया जा सकेगा ।

8 विद्यालय का आवंटन :–

(अ) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके आवेदन पत्र में वर्णित तीन विद्यालयों मे से कक्षा 6 की रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर कोई एक विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

(ब) विद्यालय आवंटन की सूची निदेशालय द्वारा दिनांक 11.07.2018 बुधवार को घोषित कर दी जायेगी। जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/secondary** पर उपलब्ध होगी, एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा होगी।

(स) विद्यालय आवंटन के पश्चात सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा निर्धारित तिथियों 13.07.2018 से 16.07.2018 तक (देखें टाईम लाईन) विद्यालयवार प्रवेश शिविरो का आयोजन कर सभी छात्र–छात्राओं के प्रवेश आवंटित विद्यालय में सुनिश्चित करवाते हुए सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को दिनांक 17.07.2018 सायं 6.00बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

विशेष : छात्र/छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश दे देने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी उजागर होने पर उसका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा । मिथ्या तथ्य/जानकारी देकर प्रवेश का प्रयास करने पर छात्र–छात्रा/अभिभावक के विरूद्ध नियमानुसार FIR/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
4. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को भिजवाकर लेख है कि संलग्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा सम्पादन एवं परीक्षा परिणाम घोषणा संबंधित कार्यवाही निर्धारित तिथियों को करवाना सुनिश्चित करें।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनु. कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति सत्र 2018–19 में प्रवेश प्रकिया हेतु संशोधित टाइम लाईन

करणीय कार्य	तय दिनांक
छात्र–छात्रा द्वारा आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय कार्यालय में जमा करवा कर पावती लेना	31.05.2018 को सायं 6 बजे तक
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय कार्यलय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र विद्यार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में (हार्ड व सॉफ्ट कॉपी) सहित आवेदन पत्र पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को उपलब्ध करवाना	05.06.2018 को सायं 6 बजे तक
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय कार्यालय द्वारा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर से प्रवेश पत्र प्राप्त करना	11.06.2018 से 13.06.2018 तक
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय कार्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रवेश पत्र वितरण	14.06.2018 से 16.06.2018 तक
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम द्वारा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के निर्देशानुसार प्रवेश पूर्व परीक्षा का जिला मुख्यालयों पर आयोजन	17.06.2018 प्रातः 10 से 12
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को योजनावार/मेरिट वार सूची (हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में) मय चयनित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र उपलब्ध करवाना	02.07.2018
निदेशालय द्वारा विद्यालय आवंटन की सूची विभागीय वेबसाईट पर जारी करना	11.07.2018
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय कार्यालय द्वारा विद्यालयवार प्रवेश शिविरों का आयोजन	13.07.2018 से 16.07.2018
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय द्वारा विद्यालयवार प्रवेश की अंतिम सूचना निदेशालय को भिजवाना	17.07.2018 सायं 6 बजे तक
प्रवेश प्रकिया का समापन	17.07.2018

नोट : समस्त संबंधित अधिकारी, कार्मिक एवं कार्यालय उक्त टाईम लाईन का दृढ़ता से पालन करेंगे।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	मण्डल	जिला	विद्यालय का नाम
1	अजमेर	नागौर	वीर तेजा बाउमावि तेजास्थली, मकराना-मूण्डवा नागौर
2		नागौर	टैगोर शिक्षण संस्थान उमावि कुचामन सिटी नागौर
3		नागौर	सेन्ट जेवियर उमावि नागौर
4		टोंक	सेन्ट सोल्जर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, टोंक
5	भरतपुर	भरतपुर	डी. पी. एम. उमावि सरसैना, भरतपुर
6		भरतपुर	श्री राधे (एस.आर.) सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, नदबई, भरतपुर
7		भरतपुर	सीनियर सैकण्डरी आदर्श पब्लिक विद्या मंदिर नदबई, भरतपुर
8		भरतपुर	राजेश पायलेट उमावि शेरगढ बयाना भरतपुर
9		भरतपुर	बी0एस0 पब्लिक उमावि सेवर रोड भरतपुर
10		भरतपुर	कला विद्या मन्दिर उमावि कासगंज रोड नदबई भरतपुर
11		भरतपुर	दुष्यन्त विद्या मंदिर उमावि विद्यार्थी बयाना भरतपुर
12		भरतपुर	आदर्श टैगोर शिक्षा समिति आवासीय उमावि 132 के.बी.जी.एस.एस. के सामने कुम्हेर रोड नदबई भरतपुर
13		सवाई माधोपुर	ग्रामीण महिला विद्यापीठ उमावि मैनपुरा सवाई माधोपुर
14		धौलपुर	आदर्श विद्या मंदिर उमावि घण्टाघर रोड, धौलपुर
15		धौलपुर	ऋषि गालव उमा विद्यापीठ धौलपुर
16		धौलपुर	सेन्ट कोनार्ड्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर
17		धौलपुर	गोविन्द पब्लिक स्कूल, उमावि धौलपुर
18	बीकानेर	हनुमानगढ	श्री गुरूनानक खालसा पब्लिक सी0सै0 स्कूल हनुमानगढ
19		हनुमानगढ	के0आर0 आदर्श उमावि संगरिया, हनुमानगढ
20		श्री गंगानगर	भोपालवाला आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर
21	चूरू	चूरू	आईडियल पब्लिक स्कूल, राजगढ, (चूरू)
22		चूरू	स्वामी केशवानन्द, जी.बी.पी. संस्थान उमावि, चूरू
23		झुन्झुनू	टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी उमावि सूरजगढ, झुन्झुनू
24		झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक उमावि गणपति नगर, झुन्झुनू
25		झुन्झुनू	रविन्द्र पब्लिक उमावि झुन्झुनू
26		झुन्झुनू	कैम्ब्रिज किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल सिमान्ती बुहाना झुन्झुनू
27		झुन्झुनू	राजस्थान पब्लिक सी0सै0 चिड़ावा झुन्झुनू
28		झुन्झुनू	आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डावा, झुन्झुनू
29		सीकर	भारतीय उमावि चौधरी चरणसिंह नगर सीकर
30		सीकर	सुभाष विद्या मन्दिर उमावि सेवद बड़ी, सीकर
31		सीकर	श्री राम शिक्षा निकेतन सी0सै0 स्कूल, चिड़िया टीबा, सीकर
32		सीकर	ज्ञानदेव पब्लिक उमावि गायत्री नगर राधाकृष्णपुरा सीकर
33		सीकर	विद्या भारती पब्लिक स्कूल तोदीनगर सीकर
34		सीकर	भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रींगस सीकर
35		सीकर	स्वामी केशवानन्द उमावि, रामगढ शेखावटी सीकर
36	जयपुर	अलवर	राव ऐज्यूकेशन एकेडमी कोठी नारायणपुर राजगढ अलवर
37		अलवर	टैगोर पब्लिक उमावि विद्यालय कठूमर अलवर
38		जयपुर	श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ रेनवाल जयपुर
39		दौसा	शिवाजी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दिरा कॉलोनी, आगरा रोड़ दौसा
40	जोधपुर	जोधपुर	महेश उमावि जोधपुर
41	कोटा	कोटा	भुवनेश बाल विद्यालय कोटा
42		कोटा	सर्वोदय उमावि जगपुरा कोटा
43		कोटा	एल.बी.एस. उमावि रानपुर, कोटा
44		झालावाड़	संकल्प एकेडमी उमावि झालावाड़
45	पाली	जालौर	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि मालवाड़ा जालौर
46		जालौर	सरस्वती विद्या मन्दिर उमावि माण्डाजून, जालौर
47		सिरोही	सेन्ट मीरा उमावि शिवगंज सिरोही
48	उदयपुर	उदयपुर	विद्या भवन उमावि उदयपुर
49		उदयपुर	महिला मंडल उमावि उदयपुर
50		उदयपुर	बाल विनय मन्दिर उमावि उदयपुर
51		उदयपुर	राणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीण्डर, उदयपुर
52		प्रतापगढ़	समन्तभद्र विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय नन्दनवन, धरियावद, प्रतापगढ़
53		प्रतापगढ़	ट्रिनिटी एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलौट, प्रतापगढ़
54		बांसवाड़ा	पायनियर उच्च माध्यमिक विद्योलय, गढ़ी, बांसवाड़ा
T			Total No. of High Reputed Private Schools - 54

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2018–19 हेतु आवेदन पत्र

नामांक :– . . . .(रिक्त छोड़ें–कार्यालय उपयोग हेतु) आवेदन पत्र प्राप्ति क्र.सं......................

मेरा आवेदन पत्र विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु निम्न संवर्ग में प्रस्तुत है :–		✔ करें
1	अनुसूचित जाति SC	
2	अनुसूचित जनजाति ST	
3	अति पिछड़ा वर्ग MBC	

विद्यार्थी का प्रमाणित फोटोग्राफ

1. छात्र/छात्रा का नाम ....
2. जन्म तिथि (अंकों में) ....
   (शब्दों में) ....
3. पिता का नाम ....
4. माता का नाम ....
5. छात्र/छात्रा का आधार नंबर ....
6. परिवार का भामाशाह कार्ड नंबर ....
7. मूल निवासी राज्य – **राजस्थान** मूल निवासी जिला – ....
8. निवास का पूरा पता ....
   ....
   ....
   गांव .... पोस्ट ....
   वाया .... जिला ....
   पिनकोड सं...
   फोन नं. मय STD कोड ....
   मोबाईल नं0 ....
9. माता–पिता की वार्षिक आय (वर्ष 2017–18) .... आयकरदाता हां/नहीं
10. कक्षा 5 परीक्षा में ग्रेड (✔ करें)

A	B	C	D	E

11. छात्र/छात्रा के **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना** में अध्ययन कर चुके अथवा अध्ययनरत भाई–बहनों का विवरण :–

क्र.सं.	भाई–बहन का नाम	अंतिम कक्षा	योजना के विद्यालय का नाम	सत्र
1				
2				

12. प्रवेश पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आप जिन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहेगें। (प्राथमिकता के क्रम में उन तीन विद्यालयों के नाम अंकित करें।)
    1. ....
    2. ....
    3. ....

माता/पिता और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदनपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है, भविष्य में प्रदत्त तथ्यों में कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी एवं मैं विभाग द्वारा छात्र/छात्रा के लिए विद्यालय को पुनर्भरण की गई समस्त राशि विभाग को वापस जमा कराने के लिए बाध्य रहूंगा।
2. पूर्व में मेरे एक से अधिक पुत्र–पुत्री/भाई–बहन ने इस योजना के अंतर्गत न तो अध्ययन किया है और न ही वर्तमान में एक से अधिक अध्ययनरत है ।

माता/पिता के हस्ताक्षर | छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री .. .. के आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात उसकी प्रविष्टियां एवं पात्रता सही पाये जाने पर छात्र/छात्रा को सत्र **2018–19** की विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रवेश पूर्व परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुशंषा की जाती है ।

जांचकर्ता के हस्ताक्षर | जांचकर्ता के हस्ताक्षर | जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) के हस्ताक्षर मय सील

परीक्षा केन्द्र का आवंटन

छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री .... के आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात् सही पाये जाने पर छात्र–छात्रा को कक्षा 6 की पूर्व प्रवेश परीक्षा सत्र 2018–19 में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र .... आवंटित किया जाता है।

प्रभारी के हस्ताक्षर | जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) के हस्ताक्षर मय सील

आवेदन पत्र प्राप्ति क्र.सं ....

पावती

छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री श्री .... का विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र – 2018–19 हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक .... को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर मय सील
जिशिअ माध्य (प्रथम/द्वितीय)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

कक्षा 6 में प्रवेश पूर्व परीक्षा सत्र 2018–19 हेतु प्रवेशपत्र

नामांक :– .... (रिक्त छोड़े– कार्यालय उपयोग हेतु)

मेरा आवेदन पत्र विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु निम्न संवर्ग में प्रस्तुत है :–		✔ करें
1	अनुसूचित जाति SC	
2	अनुसूचित जनजाति ST	
3	अति पिछड़ा वर्ग MBC	

विद्यार्थी का प्रमाणित फोटोग्राफ

छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री श्री ....

जिला .... को विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रवेश पूर्व परीक्षा 2018–19 के केन्द्र

(रिक्त छोड़े– कार्यालय उपयोग हेतु) ....

....

पर सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

परीक्षा दिनांक 17 जून 2018 रविवार समय प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक होगी। परीक्षा केन्द्र पर नियत समय से आधा घण्टा पूर्व पहुंचना आवश्यक है।

हस्ताक्षर

पंजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएं
राजस्थान, बीकानेर

आय प्रमाण–पत्र

(यह घोषणापत्र माता/पिता/संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

भाग–1 (स्वघोषणा)

1. छात्र/छात्रा के माता/पिता/संरक्षक का नाम : ....
2. निवास स्थान का पूरा पता : ....
   ग्राम : .... पोस्ट : .... तहसील : .... जिला : .... पिन : ....

माता/पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

(1)	कृषि भूमि से आय	
(2)	वेतन, पेंशन, नियोजन, मजदूरी से आय	
(3)	मशीनरी, किराया, दुकान, व्यवसाय से आय	
(4)	ब्याज, लाभांश, अन्य स्त्रोतों से आय	
	कुल वार्षिक आय :–	

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :–

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम ....

भाग–2 (शपथ पत्र)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूं कि मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु .... अक्षरे रु .... है। उक्त शपथपत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथपत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत या मिथ्या होना अथवा किन्हीं तथ्यों में फेर–बदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 177, 197, 198, 200 एवं 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

दिनांक :–

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम ....

भाग–3 (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाणपत्र)

हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थिया ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..............................
पदनाम..............................
दिनांक..............................

(2) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..............................
पदनाम..............................
दिनांक..............................

नोट :– (उत्तरदायी व्यक्ति यथा–सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, उप महापौर, नगर निगम–नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी से अभिशंषा करवाएं)

भाग–4 (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... निवासी .... ने मेरे समक्ष उपस्थित हो कर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत/जिसकी पहचान .... के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, नगर निकायों के अधिकारी, नोटेरी पब्लिक, ऑथ कमिश्नर, राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर प्रमाणीकरण करवाएं)

स्व–घोषणापत्र

(विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदक छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक द्वारा अनिवार्यतः दिया जाएगा)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... पोस्ट .... तहसील .... जिला .... राज्य राजस्थान, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययन कर चुके अथवा अध्ययनरत संतानों का विवरण निम्नानुसार है –

क.सं.	नम	पुत्र/पुत्री	आयु
1			
2			
3			

दिनांक :–

हस्ताक्षर
माता/पिता/अभिभावक